मैसर्स देवभूमि माईन्स द्वारा मयू मूसा, सोप स्टोन माईनिंग परियोजना ग्राम मयू मूसा, तहसील व जनपद बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.06.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स देवभूमि माईन्स द्वारा मयू मूसा, सोप स्टोन माईनिंग परियोजना ग्राम मयू मूसा तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (9.988 है0 क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 09.05.2023 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 15.06.2023 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2023 को 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम मयू मूसा, तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्नीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रस्तावित परियोजना में खनने हेतु 02 पिट लगाये जायेंगे जिनसे 05 वर्षों में 59867 (टन) सोपस्टोन की मात्रा निकाली जायेगी। प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है परिणामों के आधार पर स्पष्ट हुआ

क्रमशः–2

कि प्रस्तावित क्षेत्र की मिट्टी रेतीली प्रकार की है और पीएच प्रचालक से पता चलता है कि मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। मानसून के पहले 08 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत भूजल के नमूनों की जांच की गयी जो भौतिक–रासायनिक प्रचालन के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर हैं। सतही जल विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नमूनों के अधिकांश मापदण्डों का अनुपालन होता है। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिन व रात में शोर के स्तर की जांच की गयी जो सीपीसीबी की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पडेगा। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। खनन परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में प्रदान की जायेगी। परियोजना की कुल प्रस्तावित सीईआर लागत रू0– 2,25,000 (पांच वर्षों हेतु) तथा वृक्षारोपण एवं संरक्षण हेतु कुल बजट रू0– 10,00,000 एवं बायोगैस संयंत्र हेतु कुल 2,00,000 प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के आस–पास 05 वर्षों तक आम, अमरूद, बेर, नीम एवं स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाये जाने का प्राविधान किया गया है। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढढों में अपशिष्ट पदार्थ भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव पर्याप्त होगा। चिकित्सा सुविधाएं खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में प्रदान की जाएगी। आपाद स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी ये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव किये आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

क्रमशः–3

उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:—

1. श्री भुवन चन्द्र भट्ट ग्राम घिंघारतोला जनपद बागेश्वर – श्री भट्ट द्वारा पृच्छा की गयी कि प्रस्तावित खनन परियोजना से ग्रामीणों को क्या लाभ होगा। खनन कार्य से गांव के पुस्तौनी रास्ते आदि क्षतिग्रस्त होंगे क्या परियोजना प्रस्तावक अथवा प्रशासन द्वारा खनन से क्षतिग्रस्त रास्तों का पुर्ननिर्माण कार्य कराया जायेगा। इस संबंध में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार श्री अखिल कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना से क्षतिग्रस्त रास्तों आदि के पुर्ननिर्माण एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।

2. श्री गणेश दत्त भट्ट ग्राम घिंघारूतोला देवली जनपद बागेश्वर– श्री गणेश दत्त द्वारा परियोजना प्रस्तावक से अनुरोध किया गया कि परियोजना में प्राथमिक वरियता के आधार पर अधिक से अधिक स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय तदोपरान्त ही आवश्यकता होने पर बाहरी लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इस संबंध में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार श्री अखिल कुमार द्वारा - स्पष्ट किया गया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

3. श्री कैलाश चन्द्र भट्ट ग्राम घिंघारूतोला देवली जनपद बागेश्वर– श्री कैलाश चन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें खनन परियोजना के स्थापित होने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु खनन उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़क, रास्ते आदि का पुर्ननिर्माण व सरंक्षण का कार्य किया जाय।

4. श्री विपिन चन्द्र ग्राम प्रधान बुड़धुना जनपद बागेश्वर– सर्वप्रथम प्रधान जी द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी महोदय, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, क्षे0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा गया कि खनन उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़क, रास्ते आदि का पुर्ननिर्माण व सरंक्षण का कार्य किया जाय एवं पर्यावरण को संरक्षित किये जाने हेतु पेड़ पौधे आदि का बजट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5. श्रीमती पार्वती देवी निवासी ग्राम देवली जनपद बागेश्वर– श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना से स्थानीय बेराजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आज के समय में इतनी बेरोजगारी हो गयी है कि लोगों को अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो चुकी है। उनका परियोजना प्रस्तावक से एक ही अनुरोध है कि वह स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराये।

6. श्री भूपेश जोशी (परियोजना प्रस्तावक)– परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट किया गया कि ग्रामीणों द्वारा परियोजना से जो रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि के सुझाव दिये गये हैं वह ग्रामीणों के उक्त सुझावों से सहमत हैं और हमारे द्वारा उक्त सझावों के अनुरूप ही कार्य किया जायेगा।

क्रमशः— 4

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सहायक वैज्ञानिक अधिकारी प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों आदि का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा परियोजना के संबंध में उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया जा चुका है। जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं परियोजना के संबंध में प्राप्त सुझावों को नोट कर लिया गया है। खनन व पर्यावरण एक दूसरे के विपरीत हैं परन्तु खनन निमयों का अनुपालन कर वैज्ञानिक विधि से खनन करने से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। खनन से जहां एक ओर ग्रामीणों की आर्थिकी सुदृढ़ होती है वही प्रदेश व देश का भी विकास होता है। खनन से सड़क रास्ते व पानी की समस्याएं आती हैं जिनका उचित निराकरण किया जाना परियोजना प्रस्तावक को उत्तरदायित्व है। परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता एवं प्राथमिक वरियता के आधार पर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाय। खनन के समय जल स्त्रोतों का उचित संरक्षण किया जाना परियोजना प्रस्तावक का उत्तरदायित्व है। परियोजना प्रस्तावक खनन से पूर्व काश्तकारों से प्रतिवर्ष किराया अनुबन्ध कर लें ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। धरातल पर मानव जीवन को बचाये रखने के लिए पर्यावरण अनिवार्य है खनन से निश्चित रूप से पर्यावरण नष्ट होगा परन्तु खनन उपरान्त जितनी हरियाली नष्ट होती है उससे कई गुना हरियाली पेड़ पौधों के रूप में हमें धरा को वापस लौटना होगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों के सहयोग से वन पंचायतों में रोजगार परक पेड़ यथा तेजपत्ता व तिमूल के पेड़ लगा सकते हैं जिससे जहां एक ओर हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा वहीं ग्रामीणों को इससे स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। परियोजना में वृक्षारोपण हेतु जो धनराशि का प्रयोजन किया जाना है उसको धरातल पर उतारना पर्यावरण सलाहकार एवं पट्टाधारक का कार्य है जिसका पर्यवेक्षण किया जाना भी अनिवार्य है। खनन क्षेत्रान्तर्गत लगाये गये पौधों का उचित रख–रखाव अनिवार्य है जिस हेतु ट्री–गार्ड एवं उनकी सुरक्षा हेतु चौकीदार की व्यवस्था भी अनिवार्य है। मैं आशा करता हूँ कि परियोजना प्रस्तावक खनन नियमों के भीतर वैज्ञानिक तरह से खनन कार्य करेंगे जिससे निश्चित रूप से परियोजना प्रस्तावक को लाभ होगा।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।